न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (रा

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में जा...
7.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 27.11.24 को पेश हो।	
27.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 19-3-25 को पेश हो।	
19-3-25	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 7-4-25 को पेश हो।	
7-4-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6-5-25 को पेश हो।	
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार नैनवॉ रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते तहसीलदार रिपोर्ट इन्तजार मे दिनांक 15/5/25 को पेश हो।	
15/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। TDR रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते तहसीलदार रिपोर्ट इन्तजार मे दिनांक 21.5.25 को पेश हो।	
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते साधिक कार्यवाही दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। TDR रिपोर्ट प्राप्त। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। बाद बहस के विवेचन, TDR रिपोर्ट के अवलोकन एवं पत्रावली में निहित	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजों के अवलोकन पत्रावली में पृथक से निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय जिल्द हमराह पत्रावली शामिल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
12/6/25	प्रार्थी अधिवक्ता के संशोधन चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तारीख पेशी में तलब की गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस पत्रावली में दिनांक 30/5/25 को जारी निर्णय में संलग्न से हाबड़ियों का नयागांव की जगह-ही लिखने में आ गया जिसमें संशोधन कर ग्राम हाबड़ियों का नयागांव के स्थान पर पाण्डुला करने का निवेदन किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 30/5/2025 का अवलोकन करने पर निर्णय में संलग्न में ग्राम धीरपुरा के स्थान पर ग्राम हाबड़ियों का नयागांव लिखने में आ गया अतः उक्त त्रुटि में सुधार बाबत ग्राम हाबड़ियों के नयागांव पर गोला कर धीरपुरा अंकित किया जावे। पत्रावली पुनः बाद त्रुटि सुधार दाखिल दफ्तर हो।	

ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

–पत्र संख्या :–259/2023 दायर दिनांक: 06.10.2023

IS NO:- 2023/409 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

परशु राम आ0 प्रभूलाल नागर जाति धाकड नि0 पाण्डूला तहसील नैनवॉ

– प्रार्थी

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री महावीर नागर, श्री रामराज नागर।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धीरपुरा प0म0 धानुगांव तहसील नैनवॉ की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 34 मे खसरा नम्बर 386 रकबा 1.1731 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका सहखातेदार आसामी प्रार्थी है जिसका हिस्सा 1/4 निहित है और इसी हैसियत से काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे त्रुटीवश संवहन से प्रार्थी का नाम परसराम पुत्र प्रभु अंकित कर देने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम परशु राम पुत्र प्रभू लाल नागर है। यह कि प्रार्थी के पहचान संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजों, बैंक पास बुक आदि सभी दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम परशु राम पुत्र प्रभू लाल नागर अंकित है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम परसराम पुत्र प्रभु लिखा हुआ है जिससे प्रार्थी को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित भूमि संबंधी एवं अन्य जनहित योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का करण है। प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित अपनी खातेदारी भूमि मे अंकित गलत नाम परसराम पुत्र प्रभु के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम परशु राम पुत्र प्रभू लाल नागर दर्ज करवाये जिसके आदेश प्रदान करने के अधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र छाबडियों का नयागांव की जमाबन्दी, राशन कार्ड की जमाबन्दी, आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति आदि की प्रति पेश कर उपर्युक्तानुसार नाम संशोधन किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत् पेश किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां द्वारा पत्रांक :– 2515 दिनांक– 28.5.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे बताया कि प्रार्थी का नाम परसराम पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड विरासत के नामा0 संख्या 320 से स्वीकृति से हुआ है जबकि पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के मुताबिक परसराम पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड को परशुराम पुत्र प्रभुलाल नाम से भी जाना जाता है तथा दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया है। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे परसराम पुत्र प्रभू के स्थान पर परसराम उर्फ परशुराम पुत्र प्रभूलाल संशोधन किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे त्रुटीवश संवहन से प्रार्थी का नाम परसराम पुत्र प्रभु अंकित कर देने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम परशु राम पुत्र प्रभू लाल नागर है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित अपनी खातेदारी भूमि मे अंकित गलत

नाम परसराम पुत्र प्रभु के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम परशु राम पुत्र प्रभू लाल दर्ज करवाने बाबत् निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पास बुक प्रति मे प्रार्थी का नाम परशु राम ही अंकित है तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे परसराम पुत्र प्रभू के स्थान पर परसराम उर्फ परशुराम पुत्र प्रभूलाल संशोधन किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम धीरपुरा प0म0 धानुगांव तहसील नैनवॉ की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 34 मे खसरा नम्बर 386 रकबा 1.1731 हैक्टयर भूमि में दर्ज प्रार्थी का नाम "परसराम पुत्र प्रभु" के स्थान पर "परसराम उर्फ परशुराम पुत्र प्रभुलाल' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां